न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 76/10 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. दलीपसिंह पुत्र गिरवरसिंह जाति राजपूत
2. बच्चूसिंह पुत्र गिरवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:—— प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1. कमला बेवाह रामचन्द्र जाति जाट
2. मामचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
3. वीरसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
4. भगवतीदेवी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट स्त्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी हरसौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर
5. वीरमति पुत्री रामचन्द्र स्त्री सतपाल जाति जाट
6. भम्बो उर्फ रोशनी पुत्री रामचन्द्र स्त्री बस्तीराम जाति जाट वासी जसई तहसील मुण्डावर निवासीगण ग्राम मोठूका तह0 बानसूर

6 ए. पिंकी पुत्री रामचन्द्र जाति जाट स्त्री सन्तूराम निवासी मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर वारिसान वादी सं0 01 मृतक रामचन्द्र पुत्र गोरधन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

7. शीशराम पुत्र बदलू जाति जाट

8. तोता पुत्र बदलू जाति जाट निवासीयान ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर वारिसानल वादी संख्या 2 मृतक बदलू पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी ग्राम मोठूका तह0 बानसूर

:--- असल रेस्पो0

9. अमरसिंह पुत्र हरचन्द जाति जाट

10. भरपाई उर्फ बाला स्त्री जीतू कनवासह मातौर तह0 मुण्डावर पुत्री हरचन्द जाति जाट निवासीयान ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 हरचन्द

11. बहराम पुत्र भीमा जाति जाट

12. भूप पुत्र भीमा जाति जाट निवासीयान ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर । वारिसान प्रतिवादी सं0 2 मृतक भीमा

13. राजवीर पुत्र सुलतान जाति जाट निवासी मोठूका

14. सुलतान पुत्र साधूराम जाति जाट निवासी मोठूका

15. रामसहाय पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी मोठूका

16. सुरजन पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी मोठूका

17. मूलाराम पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी मोठूका

18. रामजीलाल पुत्र परभातीलाल जाति धानका निवासी मोठूका

19. नानकी बेवाह प्रहलाद जाति माली निवासी मोठूका

20. रामजीलाल पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी मोठूका

21. शुभराम पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी मोठूका

22. लीला पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी मोठूका

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

23. हरिसिंह पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी मोठूका

24. बाली पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी मोठूका

25. कमला पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी मोठूका तहसील बानसूर
वारिसान प्रतिवादी सं0 11 मृतक प्रहलाद पुत्र मामराज

26. परसादी पुत्र भूरा जाति जाट निवासी मोठूका

27. शुभराम पुत्र मांग्या जाति जाट निवासी मोठूका

28. अमरजीत पुत्र लक्खीराम जाति जाट निवासी मोठूका

28 ए. अशोक पुत्र लक्खीराम जाति जाट निवासी मोठूका

29. गीता पुत्री लक्खीराम जाति जाट निवासी मोठूका तहसील
बानसूर जिला अलवर वारिसान प्रतिवादी सं0 15 मृतक लक्खीराम

30. धर्मसिंह नबीरा लादू जाति जाट निवासी मोठूका (मृतक)

30/1. परबो स्त्री स्व0 धर्मसिंह जाति जाट

30/2. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 धर्मसिंह जाति जाट

30/3. सुमन पुत्री स्व0 धर्मसिंह जाति जाट

30/4. दसवीर पुत्री स्व0 धर्मसिंह जाति जाट निवासीयान ग्राम मोठूका
तहसील बानसूर जिला अलवर ।

31. खम्बल उर्फ खककल नबीरा लादू जाति जाट निवासी मोठूका

32. पप्पू नबीरा लादू जाति जाट निवासी मोठूका तह0 बानसूर

33. धोलिया नबीरा लादू जाति जाट निवासी मोठूका

34. रत्तीराम पुत्र कालिया जाति जाट निवासी मोठूका

35. जस्सू पुत्र कालिया जाति जाट निवासी मोठूका तह0 बानसूर

36. सुरेन्द्र पुत्र कालिया जाति जाट निवासी मोठूका तहसील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

बानसूर वारिसान प्रतिवादी संख्या 20 मृतक गंगासहाय

37. श्योराम पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी मोठूका तह0 बानसूर

38. रोहिताश्व पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी मोठूका तह0 बानसूर

39. बाबूलाल पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी मोठूका

40. रामचन्द्र पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी मोठूका

41. शुभराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी मोठूका

42. हीरालाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर वारिसान प्रतिवादी सं0 24 रामकरण

43. मोहरिया पुत्र गंगासहाय जाति जाट निवासी मोठूका तह0 बानसूर

44. रामस्वरूप पुत्र गंगासहाय जाति जाट निवासी मोठूका

45. घीसा पुत्र खूबा जाति जाट निवासी मोठूका तहसील बानसूर

46. सुलतान पुत्र खूबा जाति जाट निवासी मोठूका तह0 बानसूर

47. रामजीलाल पुत्र खूबा जाति जाट निवासी मोठूका तह0 बानसूर

48. नेतराम पुत्र छाज्या जाति जाट निवासी मोठूका तह0 बानसूर

49. अजीत पुत्र रामसहाय

50. नामालूम पुत्र रामसहाय
जाति जाट निवासीयान मोठूका तहसील बानसूर जिला अलवर
वारिसान मृतक प्रतिवादी संख्या 31 रामसहाय पुत्र छाज्या

51. चान्दराम पुत्र छाज्या जाति जाट निवासी मोठूका

52. विनोद पुत्र श्रीराम

53. कर्ण पुत्र श्रीराम

53. अंजू पुत्री श्रीराम वारिसान मृतक श्रीराम पुत्र छाज्या जाति जाट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निवासीयान ग्राम मोदूका तहसील बानसूर जिला अलवर

54. मोहनसिंह पुत्र छाज्या जाति जाट निवासी मोदूका तह0 बानसूर

55. अमीलाल पुत्र छाज्या जाति जाट निवासी ग्राम मोदूमा तहसील बानसूर जिला अलवर ।

प्रतिवादी तर0 रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी सहायक कलेक्टर,बानसूर दिनांक 31.8.99

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0 :– श्री अशोक कुमार मुदगल

निर्णय दिनांक 21.6.17

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/1999 उनवान रामचन्दर वगैरा बनाम हरचन्द वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.8.99 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट डिकी किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 510 मिन रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा, 551 मिन रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा, 520 मिन रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम मोदूका तहसील बानसूर वादीगण तथा लादिया व बोदिया पिसरान मेदा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी । लादिया व बोदिया लावल्द व बिना शादी हुये फौत हो जाने पर उनकी आराजी भी विरासत में वादीगण को प्राप्त हुई थी । इस प्रकार उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण 1/2, 1/2 भाग के खातेदार हैं । इसी प्रकार काबिज चले आ रहे हैं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

परन्तु बंदोबस्त हाल द्वारा खिलाफ मौका, कब्जा आराजी हाल खसरा नम्बर 673, 674, 683, 684, 689, 690, 691 में शामिल कर दिया गया, जो प्रतिवादीगण 1 लगा0 35 के नाम गलत रूप से खातेदारी में दर्ज कर दी । अतः दुरूस्त कर वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश हमारी इकतरफा में पारित किया गया था, इसलिये समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.7.2010 को उस समय हुई, जब अपीलांट संख्या 01 क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारी खरीदशुदा आराजी खसरा नम्बर 678 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से 1 बीघा 03 बिस्वा रकबा कम करके असल रेस्पो0 के पिता रामचन्द्र, बदलू के नाम खातेदारी में डिक्री द्वारा दर्ज कर दिया गया है । इस पर नकल आदि लेकर जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश कर दी है । जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलांटान व तरतीबी रेस्पो0 को कोई नोटिस नहीं दिया । यहां तक कि तहत न्यायालय ने दिनांक 9.6.99 को आगामी पेशी तारीख 25.8.99 नियत की थी । असल प्रतिवादीगण ने बदयान्ती पूर्वक दिनांक 26.6.99 को शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 8.7.99 नियत कर दी गई । दिनांक 8.7.99 को बिना किसी इतला के प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई । असल रेस्पो0 का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है । तहत न्यायालय ने गलत तौर पर आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित वाद पत्र ले लिया । वादीगण असल रेस्पो0 ने लादिया व बोदिया पुत्रान मेदा का वारिस बनकर वाद पेश किया है । जबकि वादीगण रेस्पो0 ने इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । हमने आराजी खसरा नम्बर 678, 672, 684 वाके ग्राम मोठूका तहसील बानसूर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की थी, जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2044 में अपीलांट का नाम दर्ज हो गया । वादीगण असल रेस्पो0 ने आज तक अपीलांट के बयनामा एवं इन्तकाल को चैलेंज नहीं किया है । हमने यह आराज़ी रामजीलाल से खरीदी थी और रामजीलाल ने दिनांक 23.7.79 को खरीदी थी । सम्वत 2017 के बाद राजस्व रेकार्ड में उक्त रामजीलाल का नाम दर्ज था, परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया । विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त करने के आदेश सम्वत 2017 की जमाबन्दी के आधार पर दिये हैं, लेकिन अन्त में तहत न्यायालय ने अचानक आराजी खसरा नम्बर 665, 677, 678, 615, 672, 673, 674, 683, 684, 689, 690, 691 का भी दावा डिक्री कर दिया, जो कदापि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

सम्भव नहीं हो सकता । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि इनको नोटिस जारी किये गये थे, परन्तु ये जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये । देरी को तभी कंडोन किया जा सकता है, जब देरी का संतोषजनक कारण बताया जावे । अपील मियाद बाहर है, इसलिये मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि के हम, लादिया व बोदिया संयुक्त खातेदार थे । लादिया व बोदिया बिना औलाद, बिना औरत फौत हो गये । उनकी आराजी भी हम में निहित हो गई । इसलिये विवादित भूमि के हम 1/2, 1/2 के खातेदार हो गये, परन्तु बंदोबस्त हाल ने गलत तौर पर विवादित भूमि असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी । इसकी दुरूस्ती तहत न्यायालय ने सही तौर पर की है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि मियाद बिन्दू पर न्यायालय को लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट की बहस तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6. विद्वान वकील अपीलांट का मुख्य रूप से यही तर्क है कि आराजी खसरा नम्बर 678, 672, 684 अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है, वे राजस्व रेकार्ड में इसके खातेदार दर्ज है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, प्रोपर तामील नहीं कराई गई, इकतरफा में निर्णय पारित कर दिया गया । इस सम्बन्ध में हमने पत्रादि का अवलोकन किया । राजस्व रेकार्ड प्रदर्श –1 व 9 में आराजी खसरा नम्बर 678, 672, 684 के अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो0 खातेदार दर्ज है । प्रतिवादी अपीलांट दलीपसिंह व बच्चूसिंह के नाम जारी किये गये नोटिस पर तामीलकुनिंदा ने रिपोर्ट अंकित की है कि तलाश किये तो मौके पर मिले, तामील लेने से इन्कार किया, मकान पर चस्पा नहीं करने दिया । इस तामील पर संदेह प्रकट होता है, क्योंकि प्रथम तो इन नोटिसों पर सिविल प्रकिया संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिये, उनके पते अंकित होने चाहिये, परन्तु इन पर मात्र एक गवाह रामकुंवार पुत्र ग्यारसी लाल जाट का ही हस्ताक्षर है । उसका पता भी अंकित नहीं है । दूसरे, अन्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

नोटिसों पर यही रिपोर्ट अंकित कर दी गई है कि मौके पर मिला, लेने से इन्कार कर दिया, खुले मकान पर चस्पा करने नहीं दिया । क्या सभी प्रतिवादीगण ने लेने से मना कर दिया । सिविल प्रकिया संहिता में तामील के बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधान किये गये हैं कि अगर साधारण डाक से हुई तामील पर संदेह हो तो रजिस्टर्ड डाक से तामील कराई जानी चाहिये । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है ।

7. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 678, 672, 684 के अपीलांट खरीददार खातेदार हैं, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने उनकी प्रोपर तामील नहीं कराई, उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया । व्यथित पक्षकार/आवश्यक पक्षकार को कानूनन सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं किया और अपीलांट, जो आराजी खसरा नम्बर 678 के खरीददार खातेदार हैं, को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । व्यथित/आवश्यक पक्षकार को सुने बिना पारित किया गया आदेश को विधिसम्मत नही कहा जा सकता । लिहाजा अपीलांट की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 31.8.99 आराजी खसरा नम्बर 678, 672, 684 वाके ग्राम मोठूका तहसील बानसूर की हद तक निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 678, 672, 684 वाके ग्राम मोठूका तह0 बानसूर की बाबत उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें, शेष विवादित आराजी की बाबत अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 31.8.99 यथावत रखे जाते हैं । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि 6.7.2017 को तहत न्यायालय में वास्ते सुनवाई उपस्थित हों ।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

Scanned by CamScanner